ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-11-17	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश निर्णय सुनाया गया विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी

दावा सं. 85/दावा/13　　पीठासीन अधिकारी - गरिमा लाटा R.A.S.

दायरा दिनांक - 10.10.13

अनवान

1. शिवनारायण आयु 57 वर्ष आत्मज स्व. श्री रामस्वरूप जी जोशी जाति ब्राह्मण निवासी नया बाजार लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान

2. बांके बिहारी आयु 48 वर्ष आत्मज स्व. श्री रामस्वरूप जी जोशी जाति ब्राह्मण निवासी नया बाजार लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान

3. जगदीश प्रसाद आयु 42 वर्ष आत्मज स्व. श्री रामस्वरूप जी जोशी जाति ब्राह्मण निवासी नया बाजार लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान　　- वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

- प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय　　दिनांक - 29.11.17

वादीगण द्वारा जर्ये अधिवक्ता एक वादपत्र वास्ते इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट पेश किया गया। वाद वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता सं. 76 खसरा नं. 484 रकबा 0.01 है खसरा सं. 435 रकबा 4.57 है कुल

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

- क्रमशः...

पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में वादी शिवनारायण व बांकेबिहारी व गवाह भैरूलाल के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में तहसीलदार इन्द्रगढ को दिया गया प्रार्थना पत्र जो प्रदर्श 1 है, मिलान शेजरा प्रदर्श-2 नकशा ट्रेस पुराना ख.नं 230 प्रदर्श 3 है जमाबंदी सम्वत 2047 से 2050 प्रदर्श 4 है जमाबन्दी सम्वत 2067-2070 जो प्रदर्श 5 है गिरदावरी सम्वत 2069 प्रदर्श 6 वर्तमान नकशा ट्रेस प्रदर्श 7 है को पेश किया।

हमारे द्वारा विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी के नकशा में बिना वादीगण की सुनवाई के राजस्व अधिकारियों ने जेड से एल आकार में परिवर्तन किया है। वर्तमान में वादीगण मौके पर जेड. आकार के अनुरूप ही काबिज है, इस हेतु श्रीमान न्यायालय द्वारा मौका व नकशा गत व हाल व रिकार्ड से खसरा न 435 व 434 की जांच रिपोर्ट भी पेश हो चुकी है। दर्शायें नकशे में बन्दोबस्त से पूर्व जेड आकृति व बन्दोबस्त के बाद एल आकृति दरशायी गयी है। नवीन नकशे के अनुसार वादीगण खातेदारान का मौका मिलान नहीं होता है। उक्त पूर्व नकशे के अनुसार वादीगण काबिज है। इस प्रकार प्राप्त जांच रिपोर्ट भी वादीगण के पक्ष

खण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमांक 2 कुल रकबा 4.58 है. वाके ग्राम चपावली तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है, राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज है।
उक्त आराजी के पूर्व ख.स. 230 जो वर्तमान मे 434 व 435 है। आकार अंग्रेजी के जैड आकार का था। मौके पर वर्तमान में वादीगण की भूमि जेड आकार की ही है परन्तु राजस्व अधिकारियों ने राजस्व रिकार्ड में बिना देखे व बिना सुनवाई का अवसर दिये बगैर राजस्व भूमि का नक्शा राजस्व मे जेड आकार से एल आकार में परिवर्तित कर दिया। यह गलती राजस्व अधिकारियों की ओर से होने से करेक्शन ऑफ रिकार्ड की श्रेणी मे आती है। मौके पर कृषि भूमि जेड आकार के समान ही प्रतीत होती है। पूर्व के नक्शे मे वादीगण की भूमि जेड आकार में ही दिखाई गई थी नक्शे मे परिवर्तन से वादीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड़ सकता है। वादीगण नक्शा पूर्व के समान जेड आकार का करवाना चाहते है। इससे प्रतिवादी सं 1 भूमिधारी के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस मे एल आकार के स्थान पर मौके व पूर्व के समान अंग्रेजी के जेड आकार में परिवर्तन कर उक्त नक्शा ट्रेस को दुरस्त किये जाने का निर्देश प्रतिवादी क्रम 1 को दिया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। नियत पेशी पर प्रतिवादी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः...

को साबित करती है। अतः वाद स्वीकार फरमाया जावे।
हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2067 2070 में ख स 435 व 434 पर वादीगण खातेदार दर्ज है। संलग्न मिलान क्षेत्रफल से यह साबित होता है कि ख.सं. 435 व 434 के पूर्व ख.स 230 मिन थे। प्राप्त मौका व रिकार्ड की जांच रिपोर्ट में यह तथ्य आया है कि वादीगण मौके पर कब्जा काश्त बन्दोबस्त के पूर्व के नक्शे 'जेड' आकार से है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद विषयक आराजी के नक्शा में मौके व पूर्व के समान जेड आकार में परिवर्तन कर नक्शा ट्रेस को दुरस्त किये जाने का निर्देश तहसीलदार इन्द्रगढ़ को दिये जाते है। तदनुसार डिग्री जारी हो।
निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 29.11.17 को सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

FD **डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई**

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास सुश्री गरिमा लाटा R.A.S.

बनाम

1 शिवनारायण आत्मज स्व शम्भुरूप (1) राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार

जाति ब्राह्मण निवासी नया बाजार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ अप्रार्थी

वादीगण दावा बाबत 136 एल.आर.एक्ट

सन

मुकदमा नम्बर 85/2013 व हाजिरी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे

श्री विद्यानन्द गुप्ता एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2067-2070 के ग्राम चमावली तहसील इन्द्रगढ़ के खसरा नं. 435 व 434 वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में एल आकार के स्थान पर मौके एवं पूर्व के समान जेड आकार में परिवर्तन कर नक्शा ट्रेस को दुरुस्त किये जाने का निर्देश तहसीलदार इन्द्रगढ़ को दिये जाते हैं। तदनानुसार पालना रिपोर्ट पेश करें।

खर्चा इन

निज मुबलिग बाबत

फीसदी सालाना आज की तारीख

मुकद्दमें के मय सूद बशरह

से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29-12-2017 माह

सन को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

(2) बांकेबिहारी आत्मज स्व रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी नया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

(3) जगदीशप्रसाद आत्मज स्व रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी नया बाजार लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी

प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)